न्यायालय उपजिलाधिकारी (पिण्डरा) वाराणसी

वाद संख्या 12 सन् 2010 ई0

पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्थाअधि0
मौजा- गजोखर परगना कोलअसला
तहसील-पिण्डरा जिला वाराणसी

आदेश

प्रस्तुत वाद पूर्वांचल एजुकेशन ट्रस्ट भवन संख्या एन 1/64-23 नगवा लंका शहर वाराणसी बजरिये चेयर मैन डा0चन्द्रिका राय पुत्र कालिका राय निवासी भवन संख्या एन 1/64 -23 नगवा लंका शहर वाराणसी द्वारा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि आ0 नं0 625 रकबा 1.088 हे0 स्थित मौजा गजोखर परगना कोलअसला तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी के संपूर्ण क्षेत्रफल में बनारस इन्स्टीट्यूट आफ पालिटेक्निक एवं इंजिनियरिंग कालेज का भवन निर्माण कार्य आरम्भ है उपरोक्त आराजी में कृषि कार्य नही होती है । यह कि आ0 नं0 625 रकबा 1.088 हे0 भूमिको अकृषिक भूमि(आबादी) घोषित करते हुए लगान माफ करने की प्रार्थना किया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में तहसीलदार पिण्डरा, वाराणसी से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार पिण्डरा वाराणसी कीआख्या दिनांक23-2-10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आ0 नं0 625 रकबा 1.088 हे0 स्थित मौजा गजोखर परगना कोलअसला तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी प्रार्थी के नाम से अंकित है। उक्त आराजी में खेती का कार्य नही होता है उसमें कालेज का भवन निर्माण आरम्भ है, उक्त आराजी आबादी का स्वरूप धारण कर चुका है।

प्रार्थी की ओर से उद्धरण खतौनी वर्ष 1408-1413 फसली के खाता नं0 323 स्थित मौजा गजोखर परगना कोलअसला तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी दाखिल किया है इसके अतिरिक्त रा0 नि0 का मौखिक साक्ष्य अंकित कराया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सविस्तार सुना ।तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का विधि सम्यक परिशीलन किया । पत्रावली एवं उपलब्ध तहसीलदार पिण्डरा वाराणसी की आख्या से स्पष्ट है कि आ0 नं0 625 रकबा 1.088 हे0 स्थित मौजागजोखर परगना कोलअसला तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी आबादी का स्वरूप धारण कर चुका है ।कृषिक उपयोग में नहीहै ऐसी दशा में आ0 नं0 625 रकबा 1.088 हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई वैधानिक अवरोध प्रतीत नही होता है ।

अत: एतद्द्वारा आ0 नं0 625 रकबा 1.088 हे0 स्थित मौजा गजोखर परगना कोलअसला तहसील पिण्डराजिला वाराणसी को अकृषिक घोषित कियाजाता है, आदेश की एक प्रति सब रजिस्टार पिण्डरा वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

8/3/10

(जी0सी0राम)
उपजिलाधिकारी (पिण्डरा)
वाराणसी ।